बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Supplementary Press Release

दिनांक :– 29.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तहत वैशाली जिले के राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा दिये गये भाषण को आदर्श आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल पाते हुए उनके विरूद्ध गंगा ब्रिज थाना जिला वैशाली में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी संख्या 79/2015 दिनांक 29.09.2015 है।

2. कैमूर जिले के भभुआ में श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दिये गये भाषण को मतदाताओं को मत देने हेतु लुभाने के आरोप में आदर्श आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध भभुआ थाना जिला कैमूर में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी संख्या 55/2015 दिनांक 28.09.2015 है।

   श्री मोदी के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी को सही नहीं मानते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर को अविलंब तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

****